[Shri Khurshid Alam Khan]

cerned with our own nationals first, we wanted to bring them out and we wanted to do everything possible for their safety and security. This is all that I have to say and I suppose I have been able to answer all the points.

PROF. C. LAKSHMANA: What has happened in Uganda, is it a revolution or a military coup?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): No discussion on this point now. Shri Kalpnath Rai will resume the discussion on the Resolution.

MOTION RE THIRTY-THIRD AND THIRTY-FOURTH REPORTS OF UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION—contd.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आई० ए०एस० और आई०पी०एस० के लिये उम्र 28 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष कर दी गई है । इससे ग्रामीण इलाकों के लोग आई०ए०एस० और आई०पी०एस० की सर्विसेज में नहीं आ पाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सेवाओं के लिये उम्र बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी जानी चाहिये ताकि ग्रामीण इलाकों के लोग भी उनमें सेलेक्ट हो सकें ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष कुमार साहू)** पीठासीन हुये ।]

उपसभाध्यक्ष महोदय, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के जो आफिसर्स डेपुटेशन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों में काम करने के लिये भेजे जाते है, उनके खिलाफ उस राज्य का चीफ मिनिस्टर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है । परिणामस्वरूप जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं, जो विकास के काम हैं, चाहे वे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के काम हों या इप्लायमेंट गारन्टी स्कीम के काम हों, वह पूरे नहीं होते । इस लिये चीफ मिनिस्टर या केबिनेट मिनिस्टर को यह पावर होनी चाहिये कि वे आई० ए० एस० आफिसर या आई०पी० एस० आफिसरों के खिलाफ एक्शन ले सकें, उन को सस्पेंड कर सकें और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही कर सकें क्योंकि यदि उन को भय नहीं होगा तो वे योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करेंगे ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो हरिजन व गिरिजन आई०ए० एस० और आई०पी०एस० में रिजर्वेशन द्वारा आते हैं उनके लड़कों या बच्चों के लिये रिजर्वेशन का सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिये जो आई० ए०एस० या आई० पी० एस० हो गया वह अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकता है और मैरिट में कंपीट कर सकता है । दूसरे हरिजन व गिरिजन जो पिछड़े हुये है, दबे हुये है उनको मौका मिलना चाहिये रिजर्वेशन के द्वारा इन सेवाओं में आने का । इसलिए जो हरिजन, गिरिजन या आदिवासी परिवार के लोग आई०ए०एस०, आई०पी०एस० या आई०एफ०एस० में आ जाते हैं, उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन की फिर सुविधा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि अन्य हरिजनों और गिरिजनों को मौका मिलना चाहिए ।

आखिरी निवेदन मेरा यह है कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन का सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए । एक लड़का जो एम०ए० फर्स्ट क्लास में पास करता है, वह अपनी मेरिट पर सेलेक्ट होता है और एक हरिजन लड़का जो 30 परसेंट से पास होता है, वह रिजर्वेशन के आधार पर भरती होता है । लेकिन दोनों आई०ए०एस० आफिसर हो जाते हैं । तो उसके बाद उनके काम के आधार पर ही उनका प्रमोशन होना चाहिए, न कि शैडूल्ड कास्ट और शैडूल्ड ट्राइब्ज के नाम पर उनकी प्रमोशन होनी चाहिए । इससे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियंसी बढ़ेगी । यह बात पूरे देश के पैमाने पर मरमरी कर रही है, लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है । इसलिए हम को इसका सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए कि रिजर्वेशन में परमोशन नहीं दिया जाना चाहिए । महिलाओं को, जो कि एक वीकर सैक्शन माना जाता है, सारी दुनिया में नर-नारी

की समानता का आन्दोलन चल रहा है। इसलिए महिलाओं को आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में विशेष ट्रीटमेंट, प्रिफ्रेन्शियल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जो देश के वीकर सेक्शन हैं उनको विशेष ट्रीटमेंट देने से सामाजिक और आर्थिक दिशा में बल मिलेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान के 6 लाख गांव हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 12 करोड़ की जनसंख्या है लेकिन यहां से, रूरल सेक्टर से आई०ए०एस० और आई०पी०एस० की नौकरी में लोग नहीं आते। जो हिन्दुस्तान में शिक्षा पद्धति में अनामली है, यानी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आई०ए०एस० और आई०पी०एस० हो जाते हैं लेकिन एक ग्रामीण आंचल में पढ़ने वाला इस नौकरी पर नहीं आ सकता इसको दूर करना चाहिए। इसलिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर प्रिफ्रेन्शियल ट्रीटमेंट के सिद्धांत पर ग्रामीण लोगों से आने वाले छात्रों को, जब इन्टरव्यू होता है तो उसमें विशेष नम्बर देकर आई०ए०एस० और आई०पी०एस० की सर्विस में लेना चाहिए क्योंकि नये हिन्दुस्तान का निर्माण करने के लिये, शक्तिशाली हिन्दुस्तान बनाने के लिये एग्रीकल्चर सेक्टर और विलिज सेक्टर को मजबूत बनाने के लिये यह जरूरी है। अगर इस वर्ग को आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में जगह नहीं मिलेगी तो हम अपने देश को ताकतवर नहीं बना सकते।

हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने यह कहा है कि हम चाहते हैं हमारे देश में एक वैज्ञानिक, साइंटिफिक बेसिस पर अपने देश के यूनियन सर्विस कमीशन को संगठित किया जाए। जो प्रोजिसर है उसको सिम्पलीफाई किया जाए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन्स हैं उसको सिम्पलीफाई किया जाए और जो एपाएंटमेंट्स हैं वे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की जायें एडहाक एपाएंटमेंटस को बन्द किया जाए। देश में बेकारों की संख्या है, उसको घटाया जाए। उनको सर्विस दी जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से दी जाए और रूल्स एंड रेगुलेशन्स को इतना सिम्पलीफाई किया जाए कि जितनी डिमान्ड्स आए उनका फुलफिलमेंट हो जाए और अपनी सर्विस क्लास में गतिशीलता कायम रख सकें। इन शब्दों के साथ मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के ढांचे में परिवर्तन की मांग करता हूं। उसके जो आठ सदस्य हैं उन आठ सदस्यों में एग्रीकल्चर सैक्टर का रिप्रजेन्टेटिव हों, एजुकेशनिस्ट हो, उसमें मिलिटरी के रिटायर्ड लोगों में से भी रिप्रजेन्टेटिव होना चाहिए। उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि ये लोग अपने देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सकें। देश के हर वर्ग के लोगों को सेलेक्ट करने में सुविधा मिल सके। केवल मुख में अंग्रेजी भाषा बोलने वाले और शहरों में रहने वाले हिन्दुस्तान को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ढांचे में परिवर्तन किया जाए। राजीव जी के कथनानुसार वैज्ञानिक ढंग से हमें काम करना चाहिये। नये एज में, अटोमिक एज में हिन्दुस्तान जा रहा है स्पेस एज में जा रहा है। आज सोशियो-इकोनोमिक रेवोलूशन हो रहा है। उसमें सारे नेशनल आब्जेक्टिव को पूरा करने के लिये नेशनल प्रियोरिटीज को पूरा करने के लिये अपने संविधान के सोशलिस्टिक, सेक्यूलर और डेमोक्रेटिक सिद्धांतों को लागू करने के लिये हमें एक ऐसे नये ढंग से वैज्ञानिक ब्यूरोक्रेसी पैदा करना चाहिये जो हमारे देश की आवश्यकता के अनुकूल कामयाब हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्षजी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट आई है वह एक तरह का आइना है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति के लिये जरूरी है कि हमारा प्रशासन भी प्रजातांत्रिक हो। उसके लिये जरूरी है कि हमारे जो अफसरान हैं वे प्रजातांत्रिक चीजों को अमल में ला सकें। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि हमारे

[श्री चतुरानन मिश्र]

प्रशासन में बहुत बड़ी 1 खामी है । पहली बात यह कहूंगा कि अगर हमारे प्रशासन को भारतीय संविधान के मुताबिक 24 परसेंट आरक्षण कर दिया है हरिजनों और आदिवासियों को और 38 वर्ष हो गये तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अभी तक 5 या 6 परसेंट जो क्लास-वन सर्विस है उसमें हरिजन और आदिवासी लोग पूरे-पूरे आ रहे हैं । अगर 38 वर्ष में 5–6 परसेंट ही आते हैं तो हमारी सरकार जो यह कहती है कि हम 21वीं सदी में जायेंगे तो 21वी सदी में तो कम से कम संविधान का यह पहलू लागू होने वाला नहीं है । ऐसा लगता है कि 22वीं शताब्दी में भी हम इस गति से उनको अपना स्थान नहीं दिला सकते है । इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के संबंध में पालिसी है । अभी भी कल्पनाथ राय जी ने कहा कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि जिस गति से हम जा रहे हैं वह 21वीं शताब्दी में तो संभव नहीं होगा । उसके लिए हमें 22वीं में जाना होगा । जिस गति से श्री कल्पनाथ राय का सोशलिज्म चल रहा है उससे इस शताब्दी में इन लोगों को कोई चान्स नही मिलने वाला है । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बताएं कि क्या इस शताब्दी में यह संभव है कि हम अपने प्रशासन में हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो 24 परसेंट रिजर्वेशन है उसको दे सकेंगे और दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों को उसमें ला सकेंगे ? सरकार की ओर से जो प्रयास किया गया है उसकी चर्चा मंत्री महोदय ने की है । उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं में जो हमारी योग्य कदम है । यह अच्छी बात है । श्री कल्पनाथ राय जी ने कहा कि हिन्दी को कम्पलसरी कर दिया जाए । कम्पलसरी करने की बात पर हाउस में जो कम्पलसरी वातावरण पैदा हो गया था उससे भी कहीं ज्यादा भयंकर कम्पलसरी वातावरण देश में पैदा हो जाएगा । इसलिए इसको आप कम्पलसरी न करके स्वैच्छिक बनाइये।

श्री कल्पनाथ राय : इस देश की कोई भाषा होगी कि नहीं ?

श्री चतुरानन मिश्र : आप हिन्दी को विकसित कीजिये हमको इसमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन हिन्दी को किसी पर लाद देंगे या कम्पलसरी कर देंगे तो देश में जितनी भाषाएं हैं हिन्दुस्तान उतने टुकड़ों में बंट जाएगा ।

श्री रामनरेश कुशवाहा : आपने अंग्रेजी क्यों लादी है ? तमिल क्यों नही लाद देते हैं ?

श्री चतुरानन मिश्र : आप हमारी बात सुनिये । स्वेच्छा से हो हम हिन्दी को आगे बढ़ा सकते हैं । जो लोग कम्पलसरी की बात करते हैं वे हिन्दी को और भी दूर रखना चाहते हैं । लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि हिन्दी को प्रगतिशील ढंग से उसकी और भी प्रगति करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और इस संबंध में जो एक जन-आन्दोलन होना चाहिए उसकी पूर्ति की जानी चाहिए । हम हिन्दी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास करें । यह लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए । लेकिन हिन्दी को कम्पलसरी करके यह नही हो सकता है । यह हमारी राय है और यही हमारे दल की राय है ।

इस प्रसंग में आपने कोशिश की है कि ग्रामीण लोगों को भी प्रशासनिक सेवाओं में लाया जाय । लेकिन ग्रामीण लोग तो इतने तेज नही होते है जितने तेज अफसरों के लड़के होते हैं या दिल्ली और कलकत्ता या दूसरे बड़े शहरों में रहने वाले लड़के होते हैं । गांवों में रहने वाले लोगों की शिक्षा देर में शुरू होती है । एक तरफ तो आप यह कदम उठाते हैं और दूसरी तरफ सेवाओं में भर्ती की आयु 28 वर्ष से घटा कर 26 वर्ष करते हैं । इस तरह से आप लोग उनको असुविधा में डालते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर भी विचार कीजिए । आपने यह आयु की सीमा जो 28 वर्ष थी उसको घटाकर 26 वर्ष कर दिया है यह अच्छी बात नहीं है . . . (**व्यवधान**)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि मैडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में हरिजनों और आदिवासियों के केन्डीडेट्स एवेलेबल नहीं है। यह तो चिन्ता की बात है। हम समझते हैं कि इस दिशा में हमारी गति बहुत धीमी होने के कारण ही यह स्थिति पैदा हो रही है। यह कमीशन का काम नहीं है। यह हमारी पोलिटिकल लीडरशिप का काम है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें समाज के कमजोर वर्ग के लोग, हरिजन और आदिवासी, पिछड़े वर्गों के लोग और जो लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि प्रशासन में वे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकें। इसलिए हमें आज यह काम करने की जरूरत है। एक बात यह भी मेरी समझ में नहीं आती कि सन् 1979-80 के मुकाबले में 1981-82 में हरिजन और आदिवासी इंजीनियरिंग में आए, लेकिन दूसरे साल में उनकी सैट-बैक क्यों लग गया? जितने लोग एवेलेबल हैं उससे कम लोग सन् 1981, 1982, 1983 और 1984 में आए। इस सैट-बैक का क्या कारण हैं? तो इसको जरा मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। श्रीमान, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिन बातों के बारे में कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र है। मेरा तो ऐसा ख्याल था कि मंत्री महोदय इतने सक्षम हैं और जिस ढंग से उन्होंने पहले बिल का जवाब दिया उसी तरह की एफिसियेंसी दिखाते हुए जो खामियां प्रकट की गई हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या कहना है उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उन्होंने दूसरे प्वाइंट कह कर उनको छोड़ दिया। हम उसको दोहराना नहीं चाहते लेकिन एक दो बातों की और हम चाहेंगे कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे। सर्विस कमीशन की 37वीं रिपोर्ट और 38वीं रिपोर्ट में आया है कि बहुत कम आदमी उपलब्ध हो सके। यह केवल हरिजन और आदिवासी की बात नहीं है। टौटेलिटी में 37वीं सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में आया है कि रिक्वायरमेंट 268 थी और अवेलेबल हुए 144। इसी तरह से 38वीं रिपोर्ट में है कि रिक्वायरमेंट 268 थी और अवेलेबल हुए 148। तो अगर डिफेंस के मामले में उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी चिन्ता की बात हो जायेगी और इस पर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इसके पहले भी रिपोर्ट आई है कि डिफेन्स सर्विसेज को लोग आप्ट नहीं कर रहे हैं। देश के लिये जितने लोग हमको इनमें चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं। आज चारों तरफ हमारे पड़ोस में एक अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है, ऐसी हालत में अगर इन को लोग न मिल पाये तो यह चिन्ता की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संबंध में मंत्री महोदय बताएं कि क्या हो रहा है।

एक और बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। कमीशन ने कहा है, यह उसकी 34वीं रिपोर्ट है, उसके पेज 14 में है कि जो वेकेंसीज हैं उनकी सही तौर पर असेसमेंट रिपोर्ट नहीं दी गई। इसमें जो आंकड़े दिये हैं उसके लिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि इसमें है कि नम्बर आफ वेकेंसीज फाइनली रिपोर्टेड सेक्शन आफिसरों के लिए 226 और नोटिफाई किया 14/14 में और 226 में बहुत अंतर है। इसी तरह से स्टेनोग्राफर एक्जामीनेशन में उन्होंने नोटिफाई किया 70 और रिक्वायरमेंट थी 238। इसी तरह से कम्बाइंड मेडिकल सर्विसेज एक्सामिनेशन में रिक्वायरमेंट थी 848 और नोटिफाई किया ओनली 50। इसलिये इस तरह का जो बहुत बड़ा गैप है यह सरकार के ऊपर सीधा वलेम है और अनेक बार इस तरह की रिपोर्ट इनकी रिपोर्टों में आई है। यह असेसमेंट ठीक से क्यों नहीं हो पाता है इसके बारे में मैं चाहूंगा कि सरकार कुछ कहे।

एक बात और है। डिसिप्लिन के ऐक्शन के केसेज बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी है। पेज 53 में और अखबारों में भी इसे हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं कि कुछ आई०ए०एस० ब्वायज और गर्ल्स गये देहरादून में और वहां पर कांड हो गया। इस तरह की

[श्री चतुरानन मिश्र]

घटनाएं घटती जा रही । क्या हमारे स्टुडेंट्स में इस तरह का वातावरण पैदा हो गया है. एजूकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस तरह का वातावरण पैदा हो गया है और यह मात्र उसका रिफ्लैक्शन है । अगर ऐसा नहीं है, इसका कारण कुछ और है तो सरकार को इस पर प्रकाश डालना चाहिए कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं और इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या इंतजाम किया है ? अगर हमारे आफिसर ही रेप करने लगेंगे तब तो बड़ी भयानक स्थिति हो जायेगी । अगर वे इस तरह ट्रेनिंग पीरियड में कर सकते हैं तो क्या ट्रेनिंग पीरियड के बाद सरकार उनको कोई ड्रग दे देगी जिससे वे ऐसा न कर सकें । अगर सरकार यह समझती है तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इसलिये सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेकर सोचना चाहिए ।

एक और प्रश्न की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इसमें लिखा है कि सिंधी, तिब्बती, सिक्कमी और मराठी भाषाओं के लिये उपयुक्त हैड नहीं मिले हैं । तिब्बती के लिये हम समझ सकते हैं कि क्यों नहीं मिले हैं । हमको यह भी मालूम है कि चीनी भाषा में जो ब्राडकास्ट हम करते हैं अपने रेडियो से उसके लिये कोई ब्राडकास्ट करने वाला नहीं है और इसलिये टेप करके ही वह किया जा रहा है ऐसी बात चल रही है वर्षों से जब कि चीनी लोग हमारे विरुद्ध धुंआधार प्रचार करते हैं । हम उसका जवाब कहां से देंगे ? टेप से कहीं क्या ऐसा काम चलता है ? नहीं चल सकता है । जहां तक सिक्कमी और मराठी का प्रश्न है इसमें काफी विद्वान लोग उपलब्ध हैं तो यह क्यों नहीं हो पाया यह बात हमारी समझ में नहीं आती है । सिक्कमी भाषा के लिये हमें बड़ी चिंता है क्योंकि यह बार्डर राज्य है छोटा राज्य है और वहां पर कई तरह की बातें होती हैं । इसलिये मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इसके बारे में भी बतायें । एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि जो फारेन डिग्री लेकर हमारे यहां आते है उनका जो पूल बन रहा है उसके संबंध में उसमें टाईम जो ज्यादा लगता ही है उसका हम उचित उपयोग नहीं कर पा रहे है । (**समय की घंटी**)

इसलिए उस संबंध में भी सरकार बताये कि क्या करने जा रहे हैं ? अंतिम बात--अंतिम बात तो नहीं होगी अंतिम के बाद एक बात और कि प्रोमोटी आई०ए०एस० या दूसरे जो लोग हैं इनके बारे में दोनों तरह की बात हम सुनते हैं और अनुभव भी होता है--एक तो यह कि उनके सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी होती है या क्या वह उस लेवल के नहीं हो पाते हैं जिस तरह से आल-इंडिया प्रशासन का होता है ।

दूसरी बात यह है कि उनका फेवरटिज्म करके, पोलिटिकल लीडरशिप वहां से रेकेमेंड करने में मदद करती है । अगर ऐसी बात है तो चिंताजनक है और इसको दूर किया जाना चाहिए ।

और अंत में यही मैं कहना चाहूंगा कि जिन डेफिशेंसीज़ की ओर कमीशन ने ध्यान आकर्षित किया है सरकार का, इसके बारे में कम से कम सरकार यह आश्वासन दे कि अगली बार जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें कोई गलती उस बारे में फिर से दोहराई नहीं जाएगी, जैसे कि बार-बार पिछली कमीशन की रिपोर्ट में एक ही तरह की शिकायत और अभियोग सरकार पर आती रही है । यह बात आगे रिपीट नहीं होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के 34वें वार्षिक प्रतिवेदन पर बहुत-सी बातें कही जा चुकी हैं । मैं भी अपना विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं ।

आयोग का यह पुनीत कार्य रहा है कि सरकार के विभिन्न विभागों में सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन करें क्योंकि यही उम्मीदवार भारतीय प्रशासन की रीढ़ होते हैं । हमारी सारी योजनाओं का कार्यान्वियन

तथा उन्हें सुचारू रूप से चालू किया जाए, इसके लिए प्रशासक का चयन किया जाता है। चयन के संबंध में दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, एक कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन द्वारा और दूसरा सीधा अन्तर्वीक्षा, या इण्टरव्यू द्वारा किया जाता है।

जहां तक कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन के माध्यम से सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन का प्रश्न है, थ्री-टायर सिस्टम अपनाया जाता है। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट और उसके बाद आब्जेक्टिव क्वश्चंस द्वारा चयन किया जाता है। आज की परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आयोग को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि आब्जेक्टिव क्वश्चंस देकर प्रिलिमिनरी टेस्ट करना योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए कितना उपादेय सिद्ध होता है? इस पद्धति पर विचार करना होगा। आब्जेक्टिव टेस्ट की पद्धति हिट और मिस की पद्धति होती है। इसके अनेकानेक दोष पाये गये हैं। उम्मीदवारों के चयन के लिए फूल-प्रूफ आब्जेक्टिव सिस्टम यह नहीं माना गया है।

अतः समय आ गया है कि इन विषयों पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि मेन एक्जामिनेशन के विषय में जैसे ह्यूमैनिटीज के विषय के अलावा ला एण्ड साइंस का विषय होता है, इस सबंध में जो लड़के उत्तीर्ण होते हैं उन्हें जो अंक प्राप्त होते हैं, उनको अधिक अंक मिलते हैं क्योंकि वह विषय मार्क सेक्योरिंग होते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे सबजैक्ट्स लेते हैं, उन्हें कम अंक प्राप्त होते हैं। अतः उनमें काफी गैप रह जाता है। इस पर विचार करना चाहिए।

तीसरी बात, आपने देश के बदलते हुये सामाजिक एवं आर्थिक भावधाराओं के अनुरूप प्रशासकों के लिए आयोग द्वारा कौन सा मापदण्ड बनाया गया है, इसका भी स्पष्टीकरण आयोग के प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि यूरोप के कई देशों में कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन एवं पर्सनेलिटी टेस्ट में 2-टायर सिस्टम की जगह पर अन्य कई टेस्ट भी लिये जा रहे हैं। 6.00 P.M. इसमें एप्टीट्यूडनल टैस्ट, साइकोलोजीकल टैस्ट, टैस्ट फार एटीट्यूड ट्वर्डज चेंज इन सोसायटी इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फ्रांस में भी अब सैवन टायर सिस्टम की व्यवस्था है और इतने सारे टैस्टों से गुजरने के बाद ही किसी पद के लिए खास उम्मीदवार का चयन किया जाता है। आयोग यह कह सकता है कि चयन किया जाता है। आयोग यह कह सकता है कि पर्सनैलिटी टैस्ट में इन सेब बातों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पर्सनेलिटी टैस्ट के लिए समय जो निर्धारित होता है वह इतना कम समय होता है .....।

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, it is 6 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Let him conclude in five minutes.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: He wants to continue.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Yes, I want to continue.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: The next day. Do it on Monday.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: I will continue.

SHRI KALPNATH RAI: Finish.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): You speak on Monday. That is better.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: The List of Business clearly says that the Discussion should start at 6 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): The consideration of the Motion will be taken up later on, will be discussed on the next day.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Will it be taken up on Monday?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): It will be taken up tomorrow after five, from five to six.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): No, no. It should be on Monday.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): I am telling you that the Business Advisory Committee has decided that the House should meet up to six. So, from five to six we will have the discussion on the Union Public Service Commission.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Mr. Vice-Chairman, we have agreed, the Business Advisory Committee has agreed, that the House would sit till six o'clock. The private Members Business finishes at five o'clock. In the evening tomorrow from five to six let us take it up. There are three more speakers. We will finish the reply by six.

SHRI S. W. DHABE: The Calling Attention may not be finished.

SHRIMATI MARGARET ALVA: The Calling Attention is from 12-00 to 1-30.

SHRI S. W. DHABE: The Calling Attention may not be finished.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Tentatively we have it. Let us see. If the Calling Attention is not finished, let us decide at that time. Now it is decided that from five to six the Union Public Service Commission would be taken up.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 81, GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON 29TH JULY, 1985, RE. 'PRIORITY LIST OF DRUGS'

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Mr. Vishvajit Prithvijit Singh to raise a discussion on points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on the 29th July, 1985 to Starred Question 81, regarding 'Priority list of drugs.'

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to raise the Half-an-Hour Discussion.

I would like to start by quoting from the answer given by the Minister on the 29th of July, 1985. The hon. Minister said:

> "While drawing up the list, the criteria which were decided by the UNIDO were taken into consideration by the committee. Then, the list which was prepared by the World Health Organisation was also taken into consideration and the drugs which were mentioned by the Hathi Committee in their report were also taken into consideration."

[**The Vice-Chairman (Shri Pawan Kumar Bansal)** in the Chair.]

Further, he went on to say this. He admitted it, and I am grateful to him for his admission. He said:

> "....I am not an expert; I do not know what drugs are used for what purposes."

I thank the hon. Minister for making this observation. I am very grateful to him.

Sir, I would like to point out that, though we are not experts on drugs, we may not know what drug is meant for what, one thing we do have access